भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2084
उत्तर देने की तारीख-09/12/2024

स्कूलों में अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों का अधिगम स्तर

2084. श्रीमती भारती पारधी:
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:
श्री अरविंद गणपत सावंत:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर के विद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में कोई वृद्धि नहीं हुई है;
(ख) यदि हां, तो विशेषकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के अधिगम स्तर की वर्तमान स्थिति क्या है; और
(ग) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में समाज के वंचित वर्ग के बच्चों के अधिगम स्तर तथा नामांकन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): शिक्षा मंत्रालय बच्चों की प्रगति और अधिगम क्षमताओं का आकलन करने के लिए तीन वर्ष के अंतराल पर कक्षा 3, 5, 8 और 10 में नमूना आधारित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) का एक रोलिंग कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। यह शिक्षा प्रणाली के स्वास्थ्य के संकेतक के रूप में कार्य करता है, ताकि विभिन्न स्तरों पर सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उचित कदम उठाए जा सकें। एनएएस का अंतिम चक्र दिनांक 12.11.2021 को आयोजित किया गया था और इसमें कक्षा 3 और 5 के लिए भाषा, गणित, और पर्यावरण विज्ञान; कक्षा 8 के लिए भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और कक्षा 10 के लिए भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी में छात्रों का मूल्यांकन किया गया था। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के 720 जिलों के 1.18 लाख स्कूलों के लगभग 34 लाख छात्रों का सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों से मूल्यांकन किया गया था। विभिन्न

सामाजिक श्रेणियों के छात्रों के प्रदर्शन को प्रदर्शित करने वाले एनएएस 21 के राष्ट्रीय, राज्य और जिला रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक डोमेन में जारी किए गए हैं और http://nas.gov.in. पर उपलब्ध हैं। एनएएस 2017 और एनएएस 2021 में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के छात्रों के कक्षा-वार और विषय-वार प्रदर्शन की तुलना करने वाला डेटा अनुलग्नक में दिया गया है।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत स्कूलों द्वारा यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि दुर्बल वर्ग और लाभवंचित समूह के बालक के प्रति पक्षपात न किया जाए और किसी आधार पर प्रारंभिक शिक्षा लेने और पूरा करने से रोका न जाए। शिक्षा भारत के संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और केन्द्र सरकार के अधीन स्कूलों को छोड़कर अन्य स्कूलों का विनियमन/प्रबंधन/नियंत्रण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा किया जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 सभी के लिए समावेशी, समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने पर बल देती है। एनईपी, 2020 में प्रावधान है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक विकास में असमानताओं को कम करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। एनईपी, 2020 में आगे यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि छात्रों को एक समावेशी स्कूल पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं और परामर्शदाताओं द्वारा लाई गई इस नई स्कूल संस्कृति के साथ-साथ संबंधित परिवर्तनों के माध्यम से संवेदनशील बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, एनईपी 2020 में उल्लेख किया गया है कि सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) पर विशेष ध्यान देने के साथ, सभी छात्रों हेतु अधिगम सुविधा के लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की शिक्षा पद्धति को शामिल करते हुए अधिगम के लिए अनेक मार्गों को सुविधाजनक बनाने हेतु स्कूली शिक्षा के क्षेत्र को व्यापक बनाया गया है।

एनईपी 2020 की सिफारिश के अनुसरण में, शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के तहत 8 फरवरी, 2023 को राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख (समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण) की स्थापना की गई थी। परख का प्राथमिक उद्देश्य देश के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों में छात्र मूल्यांकन और आकलन के लिए मानदंड, मानक और दिशानिर्देश स्थापित करना और सभी स्कूल बोर्डों में शिक्षार्थियों के बीच शैक्षणिक मानकों की समानता सुनिश्चित करना है। परख स्कूल बोर्डों के साथ मिलकर काम कर रहा है और सभी स्कूल बोर्डों में शिक्षार्थियों के बीच शैक्षणिक मानकों की समानता पर विभिन्न कार्यशालाएँ आयोजित कर रहा है। परख सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और विभिन्न स्कूल बोर्डों में शैक्षणिक समानता सुनिश्चित करने, छात्रों के अधिगम परिणामों में निष्पक्षता और एकरूपता को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है। यह नए मूल्यांकन पैटर्न, नवीनतम शोध पर स्कूल बोर्डों को मार्गदर्शन प्रदान करता है और स्कूल बोर्डों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। परख द्वारा आयोजित कार्यशालाओं की श्रृंखला प्रश्न पत्र टेम्पलेट्स को मानकीकृत करके और स्कूल बोर्डों

में प्रश्न पत्र सेट करने वालों की क्षमता को बढ़ाकर मूल्यांकन की गुणवत्ता में सुधार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रटने की आदत को कम करने और आलोचनात्मक सोच तथा मुख्य दक्षताओं के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मूल्यांकन पद्धतियों का पुनर्गठन महत्वपूर्ण है, ताकि अलग-अलग मूल्यांकन प्रणालियों के कारण नुकसान के बिना स्कूल बोर्डों और स्कूलों में छात्रों की गतिशीलता को सक्षम किया जा सके। समग्र विकास के लिए योग्यता आधारित मूल्यांकन हेतु प्रारंभिक, आधारभूत, मध्य और माध्यमिक स्तर के लिए समग्र प्रगति कार्ड (एचपीसी) तैयार किया गया है और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है।

समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना को अब एनईपी 2020 की सिफारिशों के साथ अनुकूलित कर दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच मिले, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए। इस योजना के तहत, ड्रॉप आउट दर को कम करने, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलने/सुदृढ़ करने, स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, उन्नयन और संचालन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना, पात्र छात्रों को नि:शुल्क यूनिफॉर्म और नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें, परिवहन भत्ता और नामांकन और प्रतिधारण अभियान चलाने सहित विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, स्कूल न जाने वाले बच्चों (ओओएससी) को औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में लाने के लिए स्कूल न जाने वाले बच्चों के आयु उपयुक्त प्रवेश हेतु विशेष प्रशिक्षण और बड़े बच्चों के लिए आवासीय के साथ-साथ गैर-आवासीय प्रशिक्षण, मौसम अनुरूप छात्रावास/आवासीय शिविर, कार्यस्थलों पर विशेष प्रशिक्षण केंद्र, परिवहन/एस्कॉर्ट सुविधा के लिए सहायता दी की जाती है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए छात्र उन्मुख घटक के तहत, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की पहचान और मूल्यांकन, सहायक उपकरण, ब्रेल किट और किताबें, उपयुक्त शिक्षण-अधिगम सामग्री और दिव्यांग छात्राओं को वजीफा आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित 16-19 वर्ष की आयु के स्कूल न जाने वाले बच्चों को एनआईओएस/एसआईओएस के माध्यम से अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए पाठ्यक्रम सामग्री और प्रमाणन प्राप्ति हेतु प्रति वर्ष 2000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

दिनांक 5 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (निपुण भारत) की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का हर बच्चा 2026-27 तक कक्षा 3 के अंत तक बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान प्राप्त कर ले। यह मिशन 3 प्रीस्कूल वर्षों सहित 5+3+3+4 शैक्षणिक संरचना के स्कूल सातत्य के पहले 5 वर्षों को कवर करता है।

पीएम श्री (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) योजना 07 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को मजबूत करने के उद्देश्य के साथ शुरू की गई। इन स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सभी पहलों को प्रदर्शित करना है और समय के साथ अनुकरणीय स्कूल के रूप में उभरना है, तथा पड़ोस के अन्य स्कूलों को नेतृत्व प्रदान करना है। वे अपने-अपने क्षेत्रों में एक समतामूलक, समावेशी और आनंदमय स्कूली वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में नेतृत्व प्रदान करते हैं, जो बच्चों की विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं और विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखता है और उन्हें एनईपी 2020 के दृष्टिकोण के अनुसार अपनी स्वयं की अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाता है। इस योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को मजबूत करके 14500 से अधिक पीएम श्री स्कूल स्थापित करने का प्रावधान है, जिनमें से अब तक 12,084 पीएम श्री स्कूलों का चयन किया जा चुका है।

विश्व बैंक के सहयोग से राज्यों के लिए शिक्षण-अधिगम और परिणाम की सुदृढीकरण (स्टार्स) परियोजना को केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में छह राज्यों हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा और केरल में 5 वर्षों की अवधि में अर्थात वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक कार्यान्वित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य स्कूलों में मूल्यांकन प्रणाली में सुधार करना और सभी के लिए समान शिक्षा सुनिश्चित करना है। स्टार्स परियोजना स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए समग्र शिक्षा योजना के प्रयासों का पूरक है। इसमें प्री-प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के शिक्षक और छात्र लाभार्थी हैं।

एनईपी 2020 में इन संस्थानों की क्षमता और कार्य संस्कृति को बदलने और उन्हें उत्कृष्टता के जीवंत संस्थानों के रूप में विकसित करने के लिए डाइट के पुनर्जीवन को भी मान्यता दी है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अगले पांच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से देश के सभी 613 कार्यात्मक डाइट के वास्तविक उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्त वर्ष 2023-24 में 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 125 डाइट को 92,320.18 लाख रुपये के अनुमानित बजट के साथ अनुमोदित किया गया।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) की केंद्र प्रायोजित योजना को नया रूप दिया गया है और सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा I-VIII के छात्रों के अलावा बालवाटिका के छात्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। यह स्कूल पोषण उद्यान (एसएनजी) की स्थापना और 'तिथि भोजन' के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने को प्रोत्साहित करता है।

*****

अनुलग्नक

स्कूलों में अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों का अधिगम स्तर के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्रीमती भारती पारधी, श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे और श्री अरविंद गणपत सावंत द्वारा दिनांक 9 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2084 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

एनएएस 2017 और एनएएस 2021 में मध्य प्रदेश के छात्रों के कक्षा-वार और विषय-वार प्रदर्शन की तुलना करने वाला डेटा।

कक्षा-3:

कक्षा 3								
	एनएएस 2017				एनएएस 2021			
विषय	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य
भाषा	70	67	71	71	67	66	66	64
गणित	63	60	64	64	63	59	62	60
पर्यावरण विज्ञान	66	62	66	65	63	62	62	60

कक्षा 5:

कक्षा 5								
	एनएएस 2017				एनएएस 2021			
विषय	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य
भाषा	58	55	59	61	59	57	58	61
गणित	52	49	52	54	50	46	48	50
पर्यावरण विज्ञान	57	54	57	58	56	53	54	55

कक्षा 8:

कक्षा 8								
	एनएएस 2017				एनएएस 2021			
विषय	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य
भाषा	55	51	57	58	54	49	55	63
गणित	40	36	41	42	43	38	41	42
विज्ञान	43	41	45	45	42	38	41	46
सामाजिक विज्ञान	44	41	45	47	42	40	42	44

कक्षा 10 :

कक्षा 10								
	एनएएस 2018				एनएएस 2021			
विषय	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य
गणित	30	27	31	31	34	28	34	38
विज्ञान	३१	30	32	32	35	30	35	39
सामाजिक विज्ञान	36	34	37	37	36	32	37	43
अंग्रेज़ी	29	27	30	32	40	33	42	52
आधुनिक भारतीय भाषा	48	43	50	53	43	36	44	50

एनएएस 2017 और एनएएस 2021 में महाराष्ट्र के छात्रों के कक्षा-वार और विषय-वार प्रदर्शन की तुलना करने वाला डेटा।

कक्षा 3:

कक्षा 3								
	एनएएस 2017				एनएएस 2021			
विषय	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य
भाषा	70	67	70	72	67	65	67	67
अंक शास्त्र	65	61	65	66	61	50	62	61
पर्यावरण विज्ञान	68	64	69	70	58	57	57	59

कक्षा 5:

कक्षा 5								
	एनएएस 2017				एनएएस 2021			
विषय	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य
भाषा	59	59	60	63	56	58	58	60
गणित	52	53	52	53	43	46	45	46
पर्यावरण विज्ञान	54	56	55	56	50	52	52	52

कक्षा 8:

कक्षा 8								
	एनएएस 2017				एनएएस 2021			
विषय	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य
भाषा	61	57	63	64	55	48	57	59
गणित	38	41	41	41	32	33	34	35
विज्ञान	39	41	41	41	37	36	39	41
सामाजिक विज्ञान	40	42	42	43	38	37	40	41

कक्षा 10:

कक्षा 10								
	एनएएस 2018				एनएएस 2021			
विषय	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य
गणित	३१	30	34	35	28	27	29	31
विज्ञान	33	३१	34	36	33	30	34	36
सामाजिक विज्ञान	39	36	40	41	35	34	37	40
अंग्रेज़ी	34	33	37	40	43	38	45	51
आधुनिक भारतीय भाषा	48	44	50	51	42	40	45	46

*****